

कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित कुलाधिपति के अनु सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या- संख्या-ई.स. 1854/जी0एस0 दिनांक 09.10.2006 की टंकित प्रति:-

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2353/सम्बद्धता/06 दिनांक 25.08.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन रामदेव महाविद्यालय, सिरौली, मीरगंज, जौनपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्वानुमति की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

ह0/-
(विजय कुमार सिंह)
अनु सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू0वि0वि0/सम्बद्धता/2025/599



दिनांक 19.05.2025

24.05.2025

प्रतिलिपि-

1. प्रबन्धक, रामदेव महाविद्यालय, सिरौली, मीरगंज, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
2. उप कुलसचिव, कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

कुलसचिव
24/5/25